

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 595 / 2012
संस्थान दिनांक 31.03.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

पुरन पिता प्रताप, आयु 27 वर्ष,
निवासी-गाय बयड़ा मोहल्ला, अंजड
तहसील अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 14 / 01 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 304 / 2012 अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. में दिनांक 30.11.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 04.11.2012 को 12 से 1 बजे के मध्य श्रीकृष्ण हार्डवेयर बड़वानी रोड़ गणेश जीनिंग के पास, अंजड (खुले गोडाउन से) फरियादी अश्विन के आधिपत्य के गोडाउन से जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, से फरियादी अश्विन के आधिपत्य की एक बिस्तर पेटी (लोहे के चद्दर की) उसकी सहमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बर्झमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 01.11.2012 को फरियादी अश्विन की श्रीकृष्ण नामक हार्डवेयर की दुकान से लोहे की बिस्तर पेटी, मूल्य 4500/- रुपये, फरियादी को दुकान पर नहीं दिखाई दी, दुकान पर उपस्थित राजा स पूछे जाने पर उसने उक्त बिस्तर पेटी किसी को नहीं बेचा जाना प्रकट किया तथा राधेश्याम से पूछे जाने पर उक्त बिस्तर पेटी हम्माल पूरन द्वारा ले जाया जाना बताया। पुलिस ने फरियादी

अश्विन द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त पूरन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 304/2012 अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 2 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी अश्विन की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त पूरन से एक बिस्तर की पेटी लोहे के चद्दर की जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त पूरन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 5 के गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से पूछताछ कर प्रदर्शपी 6 का साक्ष्य विधान का ज्ञापन बनाया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी अश्विन, व साक्षीगण राधेश्याम व राजा के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 380 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.11.2012 को 12 से 1 बजे के मध्य श्रीकृष्ण हार्डवेयर बड़वानी रोड़ गणेश जीनिंग के पास, अंजड़ (खुले गोडाउन से) फरियादी अश्विन के आधिपत्य के गोडाउन से जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, से फरियादी अश्विन के आधिपत्य की एक बिस्तर पेटी (लोहे के चद्दर की) उसकी सहमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बर्झमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजा (अ.सा.1), अश्विन मण्डलोई (अ.सा.2), राधेश्याम (अ.सा.3) एवं प्रधान आरक्षक जगदीश कलमे (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी अश्विन मण्डलोई (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है तथा सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है। उसकी गणेश जीनिंग के सामने हार्डवेयर की दुकान है। लगभग 1 वर्ष पूर्व उसकी दुकान से लोहे की बिस्तर पेटी चोरी चली गई थी, तब उसने थाने पर चोरी के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्शपी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने किसी व्यक्ति से उसकी चोरी की पेटी को जप्त नहीं किया था और न ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूछताछ की थी। फरियादी ने नक्शा मौका पंचनामा, जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 4 एवं अभियुक्त का मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 6 के ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि राधेश्याम ने उसे बताया था कि अभियुक्त जो कि हम्माल था, ने एक पेटी थेलागाड़ी पर रखवाई और ले गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके पूछने पर पेटी चुराने की स्वीकारोक्ति की थी अथवा पुलिस को अभियुक्त ने पेटी अपने पास होने के संबंध में सूचना पत्र दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फिर अभियुक्त के मकान गाय बयड़ा मोहल्ला अंजड़ से बिस्तर पेटी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 7 का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने थाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, वह अभियुक्त को लेकर थाने पर नहीं गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे बिस्तर पेटी थाने पर दिखाई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जिन पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे वे एक साथ थाने पर किये थे। राजा मण्डलोई अ.सा.1 ने भी उसकी दुकान से पेटी चोरी होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पेटी की तलाश करने के दौरान किसी ने बताया था कि पेटी को ले जाते हुए एक व्यक्ति को देखा था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि राधेश्याम ने उसे बताया था कि अभियुक्त पेटी को थेले पर रखकर ले गया था। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष भी पेटी के चुराने के संबंध में स्वीकारोक्ति करने से स्पष्ट इंकार किया है। राधेश्याम अ.सा.3 ने भी अभियुक्त द्वारा फरियादी अश्विन की दूकान से पेटी चोरी करने के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं

किया है। अभियोजन के इस सुझाव को साक्षी ने स्पष्ट इंकार किया कि अभियुक्त फरियादी अश्विन के गोडाउन पर आया था और लोहे की बिस्तर पेटी थैले पर रखवाकर ले गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि पुलिस ने अभियुक्त से उसके सामने पूछताछ की थी तो उसने पेटी अपने घर के अंदर रखना बताया था।

9. प्रधान आरक्षक जगदीश कलमे अ.सा.4 ने दिनांक 04.11.12 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 304/11 की सूचना के दौरान अश्विन के बताये अनुसार प्रदर्शपी 3 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने, अभियुक्त से साक्षी अश्विन और राधेश्याम के समक्ष पूछताछ करने पर बिस्तर पेटी अपने घर में रखने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वह अभियुक्त पूरन और साक्षियों को लेकर अभियुक्त के मकान गाय बयड़ा मोहल्ला अंजड़ गया था, वहाँ अभियुक्त ने अपने घर से लोहे की बिस्तर पेटी बरामद कराई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने अश्विन एवं राधेश्याम के समक्ष प्रदर्शपी 6 का कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने अभियुक्त की सूचना के आधार पर चोरी की सम्पत्ति बिस्तर पेटी उसके घर से जप्त नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसे साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिये थे और उसने कथन मन से लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कार्यवाही की है।

10. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने अभियुक्त के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट लिखाने और अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति करने से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि अभियुक्त के मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामों के शेष साक्षी भी पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, तो जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी एकमात्र साक्षी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संदेह कितना भी प्रबल हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है तथा संदेह के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त पूरन के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव उक्त अभियुक्त पूरन को संदेह का लाभ देते हुए धारा 380 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा बिस्तर पेटी दिनांक 19.11.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी अश्विन पिता सोहनलाल मण्डलोई, निवासी-अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	दिलीप पिता नन्दू आयु 27 वर्ष, निवासी- ग्राम बरुफाटक, तहसील ठीकरी जिला-बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	20.05.2012
पुलिस रिमाण्ड की अवधि	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में अवधि	:-	निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में
कुल 31 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0